

9/11/20

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित।
वकील अप्रार्थी उपस्थित। आज लगवाई गई।
बार बार आवान लगाने पर प्रार्थी व
वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आने पर पत्रावली
अदम हाजरी - अदम पेशी में खारिज की जाती
है। निर्णय छुले न्यायालय में सुनाया जाता
है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से
कम होकर दाखिल रफ्तार है।

R/o

